

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 106 : ¹[Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority]

The Authority or the Appellate Authority ²[or the National Appellate Authority] shall, subject to the provisions of this Chapter, have power to regulate its own procedure.

-
- 1 Substituted for heading "**Procedure of Authority and Appellate Authority**" by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.
 - 2 Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

धारा 106 : ¹[प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया]

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण ²[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

- 1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।
- 2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।